

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – मानवेन्द्र जायसवाल

मिसल संख्या
15/2020

किस्म मुकदमा :- राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91
तारीख रजू 27.08.2020
निर्णय दिनांक 10.09.2020

निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम

श्री प्रकाश पुत्र बादाम जाति नाई नि० खटनावली तह० बयाना जिला भरतपुर

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना मे वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि श्री प्रकाश पुत्र बादाम जाति नाई नि० खटनावली तह० बयाना जिला भरतपुर ने ग्राम खटनावली तहसील बयाना की बा०१ की भूमि आराजी खसरा नम्बर 139 मे रकबा 0.36 हैक्ट भूमि पर फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अनाधिकृत रूप से बाजरा की फसल बोकर अतिक्रमण कर लिया है । इसलिये अतिचारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे ।


रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भू राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 के तहत दिनांक 10.09.2020 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामील कराई गई । नियत तिथि को गैर सायल ने उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया तथा अपने जबाब अतिक्रमी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर कई वर्षों से कब्जा काश्त करना बताया गया तथा अतिक्रमित भूमि को प्रार्थी के हक में नियमन करने का निवेदन किया गया । चूंकि नियमन कार्यवाही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बयाना के स्तर पर की जाती है । अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई भी ऐसा साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि उसके द्वारा किया गया अतिक्रमण वैधानिक है ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल खरीफ सम्बत 2077 मे उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है इसलिये गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है ।

अतः फसल खरीफ सम्बत 2077 मे अतिचारी श्री प्रकाश पुत्र बादाम जाति नाई नि० खटनावली तह० बयाना जिला भरतपुर तहसील बयाना का ग्राम खटनावली तहसील बयाना की बा०१ की भूमि खसरा नम्बर 139 मे रकबा 0.36 हैक्ट भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 5.76 रूपये का 50 गुना राशि 288 रूपये की शास्ती आरोपित की जाकर मोक़े से बेदखल कर फसल एवं अन्य सामग्री आदि को कुर्क कर निलाम करने के आदेश दिये जाते है

निर्णय अनुसार बेदखली ,फसल एवं सामग्री जप्ती ,नीलामी एवं वसूली हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा मॉग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।


नायब तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)